

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), शिव जिला बाड़मेर

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. हेतुदान पुत्र गिरधारीदान 2. रूगदान पुत्र गिरधारीदान जाति - चारण, निवासी अलसाणियों की ढाणी तहसील शिव जिला बाड़मेर		1. आसुदान पुत्र धूडदान 2. मु0 गैरो पत्नी शक्तिदान 3. श्रीमती सुगनकंवर पत्नी आसुदान जाति - चारण, निवासी अलसाणियों की ढाणी 4. जुगताराम पुत्र गुणेशाराम जाति - जाट, निवासी अलसाणियों की ढाणी 5. सुशीला पत्नी चनणाराम 6. राजेन्द्र पुत्र चनणाराम 7. नरेन्द्र पुत्र चनणाराम जाति - सुथार, निवासी चितरोली तहसील शिव 8. तहसीलदार, शिव 9. शाखा प्रबन्धक, बी.सी.सी.बी. शाखा शिव 10. शाखा प्रबन्धक, जे.टी.जी.बी. शाखा भीयाड़ 11. शाखा प्रबन्धक, बी.एल.डी. बी. शाखा बालोतरा 12. शाखा प्रबन्धक, आई.डी.बी.आई. शाखा स्टेशन रोड़, बाड़मेर
किस्म मुकदमा... राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 92 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मुकदमा 94A / 2019		
तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए (1)

02.08.19

02/08/19

20/08/19

वादीगण ने मय वकील श्री नरेन्द्रसिंह सियाग इस आश्य का वाद प्रस्तुत किया कि मौजा अलसाणियों की ढाणी की खेत खसरा नम्बर 1227/328 रकबा 289.15 बीघा भूमि वादीगण की, इसी ग्राम की खेत खसरा नम्बर 1225/328 रकबा 266.05 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की खातेदारी में दर्ज हुई। इसी तरह मौजा चितरोली की खेत खसरा नम्बर 405 रकबा 213.06 बीघा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 04 की संयुक्त खातेदारी में तथा इसी ग्राम की खेत खसरा नम्बर 1116/405 रकबा 151.00 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 01 से 03 व 05 से 07 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज हुई। ग्राम अलसाणियों की ढाणी के मूल खेत खसरा नम्बर 328 में से सड़क निकलने से उक्त खसरा दो भागों में विभक्त हुआ, जिसमें से सड़क के उत्तरी भाग का खसरा नम्बर 1225/328 रकबा 266.05 बीघा कायम कर उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की खातेदारी में तथा दक्षिणी भाग का खसरा नम्बर 1227/328 रकबा 289.15 बीघा कायम कर उक्त भूमि वादीगण की खातेदारी में दर्ज की गई। उक्त विभाजन बिना मौका स्थिति की जांच किये और बिना खातेदारान की जानकारी में लाये राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया। सड़क की उत्तरी दिशा की भूमि से वादीगण का

(2)

(3)

सुगन कंवर

(4) जुगताराम

(5)

(6) राजेन्द्र

(7) नरेन्द्र


सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

नाम तथा दक्षिणी दिशा की भूमि से प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का नाम बिना किसी विधिक आधार के हटाकर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद कर दिया गया। जबकि पक्षकारान के मध्य कब्जे के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। वे अपने वास्तविक हिस्सानुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। इसी तरह मौजा चितरोली के मूल खसरा नम्बर 405 में से खातेदारान द्वारा समय-समय पर किये गये बेचानों के आधार पर विकयशुदा भूमि कंतागण द्वारा पृथक करवाई जाती रही, किन्तु वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 07 की भूमि एकल ही रखी गई। कंतागण की पृथक भूमि की लट्ठा नक्शा में तरमीम भी हो गयी।

पक्षकारान द्वारा आपसी सहमति से वादग्रस्त भूमि का बाहमी रूप से बंटवाड़ा किया हुआ है और भूमि को एकल रखने तथा भूमि की गुणवत्ता को दृष्टिगत रखते हुए वादीगण को आंशिक रकबा अधिक दिया गया है, जिस सम्बन्ध में भी कोई विवाद नहीं है और पक्षकार अपने-अपने हिस्से में आई भूमि पर काबिज होकर शान्तिपूर्वक काश्त करते आ रहे हैं। मौके पर उभय पक्ष की ढाणियां, कृषि कुएं, चाराबाड़े आदि अपने-अपने हिस्से की भूमि पर बने हुए हैं।

डी.आई.एल.आर.एम.पी. योजना के तहत डिजीटेशन के जरिये राजस्व नक्शे में तरमीम अपडेशन के सम्बन्ध में चलायी गई राज्य सरकार की स्कीम के चलते जब भू-अभिलेख निरीक्षक भीयाड़ ने मौके पर निरीक्षण करके खातेदारान को राजस्व रिकार्ड एवं लट्ठा नक्शा में तरमीम की जानकारी दी, तो उन्हें रिकार्ड एवं नक्शे की विसंगति का ज्ञान हुआ। उक्त विसंगति के समाधान हेतु भू अभिलेख निरीक्षक भीयाड़ ने समस्त खातेदारान को मौके पर बुलाकर उनके वास्तविक हक एवं कब्जाकाश्त अनुसार कब्जावार नक्शे सहित मौका फर्द तैयार की, जिससे समस्त खातेदार सहमत हो गये। अतः वादीगण ने माफिक कब्जाकाश्त वादग्रस्त भूमि भू अभिलेख निरीक्षक भीयाड़ द्वारा तैयार मौका फर्द एवं नक्शानुसार बाद घोषणा लट्ठा नक्शा में तरमीम एवं राजस्व रिकार्ड में दुरस्ती करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया।

लोक अदालत की भावना एवं ग्राम के मौजीज व्यक्तियों व राजस्व कर्मियों की समझाइश से प्रेरित होकर प्रतिवादी संख्या 01 से 07 एवं वादीगण ने उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया, जो बाद


सहायक कलेक्टर
(SDO) शिव

प्रमाणित करवाया
मौजा (000)

तस्वीक
खातेदार
तैयार मौका

तस्दीक शामिल मिसल किया गया। राजीनामा के अनुसार समस्त खातेदार वादग्रस्त भूमि का माफिक भू अभिलेख निरीक्षक भीयाड़ द्वारा तैयार मौका फर्द, राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं नक्शा लट्ठा में तरमीम करवाने हेतु सहमत है।

वाद के तथ्यों पर हमने दोनों पक्षों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध दसतावेजी साक्ष्य, भू अभिलेख निरीक्षक भीयाड़ द्वारा तैयार मौका फर्द तथा प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया। मौजा चितरोली अवस्थित वादग्रस्त भूमि का मूल खसरा नम्बर 405 तथा मौजा अलसाणियों की ढाणी अवस्थित वादग्रस्त भूमि का मूल खसरा नम्बर 328 है। उक्त भूमि खातेदारान की पुश्तैनी होने से गुणवत्ता के आधार पर वादीगण को लगभग 10.00 बीघा भूमि अधिक दिये जाने में चूकि समस्त प्रतिवादीगण सहमत है, ऐसी सूरत में माफिक मौका फर्द एवं राजीनामा वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड एवं लट्ठा नक्शा में तदनुसार विभाजित किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादीगण का वाद माफिक राजीनामा एवं भू अभिलेख निरीक्षक भीयाड़ द्वारा तैयार मौका फर्द स्वीकार किया जाकर ग्राम अलसाणियों की ढाणी की खसरा नम्बर 1227/328 रकबा 289.15 बीघा व खसरा नम्बर 1225/328 रकबा 266.05 बीघा तथा ग्राम चितरोली की खसरा नम्बर 405 रकबा 213.06 बीघा व खसरा नम्बर 1116/405 रकबा 151.00 बीघा भूमि निम्नानुसार पक्षकारान के नाम के आगे अंकित मुताबिक खातेदारी में घोषित की जाती है :-

क्र.सं.	नाम खातेदार	नाम ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा बीघा
1	हेतुदान, रूगदान पि० गिरधारीदान बारहट	अलसाणियों की ढाणी	1225/328	173.13
			1227/328	94.07
		योग	2	268.00
2	आसूदान पुत्र धूड़दान, मु० गैरो पत्नी शक्तिदान बारहट	अलसाणियों की ढाणी	1225/328	227.07
			1227/328	60.13
		योग	2	288.00


सहायक कलेक्टर
(SDO) शिव

3	सुशीला पत्नी चनणाराम, राजेन्द्र, नरेन्द्र पि० चनणाराम कौम सुथार, आसूदान पुत्र धूड़दान, सुगनकंवर पत्नी आसूदान, मु० गैरो पत्नी शक्तिदान बारहट	चितरोली	1116 / 405	119.00
4	हेतुदान, रूगदान पि० गिरधारीदान बारहट 4551 / 4906 हिस्सा, जुगताराम पुत्र गुणेशाराम जाट 355 / 4906 हिस्सा	चितरोली	405	245.06

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरुस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। भू अभिलेख निरीक्षक भीयाड़ द्वारा पेश मौका फर्द के संलग्न तैयार किये गये प्रस्तावित तरमीम के नक्शे इस निर्णय के अभिन्न अंग रहेंगे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ०२.०८.१९ को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलेक्टर
(SDO) शिव
चितरोली

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

(Cilil Procedure Code, Appendix "d"1)

अज अदालत सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी शिव बमुकाम शिव
बइजलास श्री प्रतापसिंह, आई.ए.एस.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. हेतुदान पुत्र गिरधारीदान		1. आसुदान पुत्र धूड़दान
2. रूगदान पुत्र गिरधारीदान जाति - चारण, निवासी अलसाणियों की ढाणी तहसील शिव जिला बाड़मेर		2. मु0 गैरो पत्नी शक्तिदान 3. श्रीमती सुगनकंवर पत्नी आसुदान जाति - चारण, निवासी अलसाणियों की ढाणी 4. जुगताराम पुत्र गुणेशाराम जाति - जाट, निवासी अलसाणियों की ढाणी 5. सुशीला पत्नी चनणाराम 6. राजेन्द्र पुत्र चनणाराम 7. नरेन्द्र पुत्र चनणाराम जाति - सुथार, निवासी चितरोली तहसील शिव 8. तहसीलदार, शिव 9. शाखा प्रबन्धक, बी.सी.सी.बी. शाखा शिव 10. शाखा प्रबन्धक, जे.टी.जी.बी. शाखा भीयाड़ 11. शाखा प्रबन्धक, बी.एल.डी. बी. शाखा बालोतरा 12. शाखा प्रबन्धक, आई.डी.बी.आई. शाखा स्टेशन रोड़, बाड़मेर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 92 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या :- 94A/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय बहाजरी वादी श्री नरेन्द्रसिंह सियाग
वकील मिनजानिब मुददाई व ~~प्रतिवादीगण स्वयं~~ मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया
जाता हैं व डिगरी दी जाती हैं

लिहाजा वादीगण का वाद माफिक राजीनामा एवं भू अभिलेख निरीक्षक भीयाड़ द्वारा तैयार
मौका फर्द स्वीकार किया जाकर ग्राम अलसाणियों की ढाणी की खसरा नम्बर 1227/328 रकबा
289.15 बीघा व खसरा नम्बर 1225/328 रकबा 266.05 बीघा तथा ग्राम चितरोली की खसरा
नम्बर 405 रकबा 213.06 बीघा व खसरा नम्बर 1116/405 रकबा 151.00 बीघा भूमि निम्नानुसार
पक्षकारान के नाम के आगे अंकित मुताबिक खातेदारी में घोषित की जाती है :-

क्र.सं.	नाम खातेदार	नाम ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा बीघा
1	हेतुदान, रूगदान पि0 गिरधारीदान चारण	अलसाणियों की ढाणी	1225/328	173.13
			1227/328	94.07
		योग	2	268.00
2	आसूदान पुत्र धूड़दान, मु0 गैरो पत्नी शक्तिदान चारण	अलसाणियों की ढाणी	1225/328	227.07
			1227/328	60.13
		योग	2	288.00


सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

3	सुशीला पत्नी चनणाराम, राजेन्द्र, नरेन्द्र पि० चनणाराम कौम सुथार, आसूदान पुत्र धूड़दान, सुगनकंवर पत्नी आसूदान, मु० गैरो पत्नी शक्तिदान चारण	चितरोली	1116 / 405	119.00
4	हेतुदान, रूगदान पि० गिरधारीदान चारण 4551 / 4906 हिस्सा, जुगताराम पुत्र गुणेशाराम जाट 355 / 4906 हिस्सा	चितरोली	405	245.06

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरुस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। भू अभिलेख निरीक्षक भीयाड़ द्वारा पेश मौका फर्द के संलग्न तैयार किये गये प्रस्तावित तरमीम के नक्शे इस निर्णय के अभिन्न अंग रहेंगे।

खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करें।

बीज ————— मुबलिग ————— बाबत
यह खर्चा इस मुकदमे के मय सद व शरद ——— फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ——— को अदा करें।
बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 02.08.19 को जारी की गई।


सहायक कलेक्टर
(ए.डी.ओ.) शिव

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दयलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
मीजान			मीजाना		

